बी.डी. खुंटे

बनाम

भारत संघ और अन्य

(आपराधिक अपील सं. 242/2012 आदि)

30 अक्टूबर, 2014

[न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोल और न्यायमूर्ति आर. भानुमती]

रणबीर दंड संहिताः

रणबीर दण्ड संहिता की धारा 300, अपवाद 1, औ◌ार धारा 302 रणवीर दण्ड संहिता औ◌ार सेना अधिनियम की धारा 69-अपीलकर्ता-जवान ने पिटाई औ◌ार अपमान की एक पूर्व घटना के कारण अपने वरिष्ठ की गोली मारकर हत्या कर दी-उच्च न्यायालय ने दोषिसिद्धि औ◌ार आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। अभियुक्त को जो अपमान झेलना पड़ा, उसने मृतक के खिलाफ बदला लेने के मकसद के रूप में काम किया हो, जिसने ऐसा अपमान किया था, लेकिन यह आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 1 में नहीं आता है, जो रण्बीर दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के समान है-दोषसिद्धी औ◌ार दण्डादेश बरकरार रखा।

दंड संहिता, 1860:

धारा 300, अपवाद-'अचानक प्रकोपन' और मकसद

अदालत ने याचिकाओं को खारिज करते हुए

अभिर्निधारित: 1.1. किसी मामले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अन्तर्गत आने के लिए प्रकोपन की कार्रवाई न केवल गंभीर होनी चाहिए बल्कि अचानक भी होनी चाहिए। अपवाद 1 के अर्थ में गंभीर उत्तेजना एक उत्तेजना है जहाँ अपराध निर्णय लेने की शक्ति अैार तार्किक बुद्घि से हीन हो जाता है अैार हिंसक जूनून उस पर हावी हो जाता है। [पैरा 11 और 14] [456-ए; 458-बी]

आर. वी. डफी **[1949] 1 सभी ई. आर. 932- संदर्भित**

1.2. मौजूदा मामले में दोपहर के आसपास हुई घटना को गंभीर प्रकोपन की घटना नहीं कहा जा सकता है, जो दिनभर अपीलकर्ता को शाम 09.30 बजे तक उकसाती रही जब अपीलकर्ता ने मृतक को गोली मार दी, क्योंकि अपीलकर्ता ने दिन के दौरान अपने सामान्य कृर्तव्य पूर्ण करे एवं ऐसा प्रतीत होता है कि शाम को उसने स्वयं व उसके कुछ सहयोगियों ने प्रतिशोध में मृतक की पिटाई करने जैसे किसी कमतर प्रतिशोधी कृत्य की योजना बना ली हो। 1400 बजे जब अपीलकर्ता को गंभीर प्रकोपन हुआ तथा 21.30 बजे वह वक्त जब अपीलार्थी ने मृतक को गोली मारी उक्त दोनों समय के बीच सात घंटे का अन्तराल था जो कि अपीलार्थी को शांत

होने के लिए पर्याप्त समय था। एक व्यक्ति को गंभीर और अचानक प्रकोपन के

अधीन ही वह अपने धैर्य और संयम वापस पा सकता है। आखिरकार गंभीर प्रकोपन क्षणिक रूप से व्यक्ति द्वारा सही व गलत के बीच अन्तर करने की क्षमता का क्षणिक हनन ही है। जब तक की उक्त क्षण के भविष्यस्वरूप किसी प्रकार की क्षति नहीं होती उक्त घटना व्यक्ति की स्मृतियों के दायरे में चली जाती है जो की बदला लेने की भावना बढ़ा देती है एवं इस प्रकार भविष्य में अपराध करने की प्रेरणा बन सकती है। परन्तु पूर्व की ऐसी कोई भी घटना गंभीर व अचानक प्रकोपन की श्रेणी में नहीं आती है। गंभीर व अचानक प्रकोपन के रूप में अपराध को कमतर करने हेतु नहीं मानी जा सकती है। सामान्य रूप से ऐसा प्रकोपन अचानक व गंभीर होने के बावजूद समय बीतने के साथ धीमा पड़ जाता है जो कि अवसर आने पर प्रतिशोध लेने का मकसद बन जाता है। अपराधी द्वारा जो पिटाई व अपमान झेला गया वह उस मृतक से प्रतिशोध लेने का मकसद हो सकता है जिसने ऐसा अपमान किया था किन्तु यह भारतीय दण्ड संहिता के प्रथम अपवाद में नहीं आता है जो की रणवीर दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद के समान है। रणबीर दंड संहिता की धारा[पैरा 13,16 और 18] [958-एफ, जी; 460-सी-जी; 457-ई]

के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य **ए.आई.आर 1962 एस. सी. 605 पर निर्भर किया गया**

मैनसिनी बनाम लोक अभियोजक निदेशक **[1941] 3 सभी ई. आर. 272-संदर्भित।**

केस कानून संदर्भः

[1949] 1 सभी ई.आर. 932 संदर्भित किया गया है पैरा 15

1962 एससी 605 पर निर्भर किया गया पैरा 17

[1941] 3 सभी ई.आर. 272 संदर्भित किया गया है पैरा 18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 242/2012

निर्णय और आदेश दिनांकित 26.10.2009, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ओ.ए. नं. 5/2009

संग

क्रिमिनल. अ. संख्या 2328/2014

पल्लव सिसोदिया, रणजी थॉमस, वी. एन. रघुपति वास्ते अपीलार्थी।

जे.एस.अट्टारी, अनिल अंतिल, आर. बालासुब्रमण्यम, संतोष कुमार, उत्तरदाताओं के लिए बी. वी. बलराम दास।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गयाः-

न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर,

आपराधिक अपील संख्या 242/2012

1. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर 2010 की रिट याचिका संख्या 4652 को खारिज करते हुए, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों और समरी जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की, जिसमें अपीलकर्ता को एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। सेना अधिनियम की धारा 69 के साथ रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय है और उसे सेवा से बर्खास्त करने के अलावा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. 30 जुलाई, 2004 को नामांकित, अपीलकर्ता राज्य जम्मू और कश्मीर के बारामूला सेक्टर के राजदान में तैनात था। मृतक सूबेदार रणधीर सिंह उसी पोस्टिंग स्थान पर वरिष्ठ जेसीओ/पोस्ट कमांडर के रूप में कार्यरत थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 28 जून, 2006 को रात लगभग 9.30 बजे अपीलकर्ता ने गार्ड ड्यूटी के दौरान सूबेदार (एआईजी) रणधीर सिंह को जारी 5.56 इंसास राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बारे में 2006 की एफआईआर संख्या 137 ब्रिगेड कमांडर द्वारा बांदीपुर के क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसने घटना की जांच पूरी करने के बाद मामले को अदालत में सौंपने के लिए क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। परीक्षण के लिए बारामूला में सत्र।

3. बारामूला की सत्र अदालत ने जीओसी 15 कोर द्वारा उसके समक्ष दायर एक आवेदन पर मामले को सेना अधिनियम के तहत निपटाने के लिए सेना अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया। तदनुसार अपीलकर्ता के मुकदमे के लिए एक समरी जनरल कोर्ट मार्शल बुलाई गई, जिसने अपीलकर्ता को सेना अधिनियम की धारा 69 और रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और बर्खास्तगी की सजा सुनाई। सेवा से. सेना अधिनियम, 1950 के तहत वैधानिक उपाय अप्रभावी साबित होने पर, अपीलकर्ता ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष 2009 का ओए नंबर 5 दायर किया, जिसे न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2009 द्वारा सुना और खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की रिट याचिका संख्या 4652 दायर की, जो विफल रही और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 5 जुलाई, 2011 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दी। वर्तमान अपील पारित निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाती है। उच्च न्यायालय द्वारा और सशस्त्र बल अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया। इसमें हत्या के अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और समरी जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा उसे दी गई सजा को भी चुनौती दी गई है।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री सिसौदिया ने हमारे सामने एक छोटा सा मुद्दा उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 300 आईपीसी के अपवाद 1 के लाभ का हकदार था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के संस्करण के अनुसार वह 28 जून, 2006 को दोपहर के भोजन के बाद अपनी चारपाई में आराम कर रहे थे, जब मृतक सूबेदार रणधीर सिंह नशे की हालत में अपीलकर्ता की खाट के पास आए, उन्हें हल्के से दो थप्पड़ मारे और अपीलकर्ता को उनके पीछे चलने के लिए कहा। यह सोचते हुए कि उसे किसी प्रकार की ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है, अपीलकर्ता मृतक के पीछे-पीछे स्टोर रूम तक गया, जहां मृतक ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपीलकर्ता से अपनी पैंट उतारने के लिए कहा, जिससे यह पता चला कि मृतक का अपीलकर्ता के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का इरादा था। जब अपीलकर्ता ने मना कर दिया, तो मृतक ने उसे मुक्का मारा और बार-बार लात मारी और उसे अपना हाथ ऊपर उठाने और स्टोर रूम में डबल बंक के शीर्ष बर्थ के साइड बीम को पकड़ने के लिए कहा। अपीलकर्ता का आगे का मामला यह है कि मृतक ने उसके बाद उसके शरीर, गालों और पेट को चूमने जैसे अवांछित और अनुचित कदम उठाए। जब यह चल रहा था, दो अन्य कर्मी अर्थात् हडगल विलास और अनिल गाडगे ने स्टोर रूम का दरवाजा खटखटाया मृतक ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और उन्हें चले जाने के लिए कहा और फिर से दरवाज़ा बंद कर

दिया और अपीलकर्ता को आधे घंटे तक प्रताड़ित करना जारी रखा। अपीलकर्ता किसी तरह खुद को मुक्त करने में कामयाब रहा और सदमे में और रोते हुए अपने बैरक में लौट आया। उन पर आरोप है कि उन्होंने पूरे प्रकरण के बारे में अपने सहकर्मियों और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपना दुख सांझा किया था। हालाँकि, अपीलकर्ता द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, हालाँकि अपीलकर्ता के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों ने अपीलकर्ता को शांत रहने की सलाह दी। अपीलकर्ता का आगे का मामला यह है कि उसने और उसके सहयोगियों ने शाम को पानी गर्म करने वाले बिंदु के पास इकट्ठा होने और मृतक की पिटाई करने की योजना बनाई। इसी संकल्प के साथ उन्होंने दिन में अपने प्रशासनिक कार्य तब तक किये जब तक कि उनके लिए 2000 बजे रात्रि पिकेट गार्ड ड्यूटी पर जाने का समय नहीं हो गया। हेडगल विला के साथ-साथ उनका सर्विस हथियार भी विधिवत लोड किया हुआ था क्योंकि जिस स्थान पर उनकी तैनाती थी वह एक ऑपरेशनल क्षेत्र था। अपीलकर्ता का कहना है कि रात का खाना जल्दी खाने के बाद वह रात्रि गार्ड ड्यूटी के स्थान पर पहुंच गया। ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। प्रचलित अभ्यास और प्रक्रिया के अनुसार अपीलकर्ता का दावा है कि उसने आने वाले व्यक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और तब तक संपर्क करना जारी रखा जब तक कि अपीलकर्ता ने उसे पहचान नहीं लिया

कि वह सूबेदार रणधीर सिंह है। मृतक को देखकर वह अभी भी गुस्से से उबल रहा था, उसने अपने सर्विस हथियार से उस पर गोलियां चला दीं। सूबेदार रणधीर सिंह को गोली मार दी गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अपीलकर्ता को तुरंत हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लिया गया और बैरक में खाट से बांध दिया गया। घटना की स्थानीय पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई, जिसके बाद समरी जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें सूबेदार रणधीर सिंह की हत्या के लिए दोषी पाया गया और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सजा सुनाई गई।

5. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, श्री सिसौदिया ने तर्क दिया, अपीलकर्ता के मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत माना जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि स्टोर रूम में दिन के समय हुई घटना ने अपीलकर्ता को इतनी बुरी तरह झकझोर दिया था कि जब अपीलकर्ता ने शाम को मृतक को धटना स्थल के पास आते देखा तो वह गंभीर रूप से और अचानक उत्तेजित हो गया। श्री सिसौदिया ने तर्क दिया कि यद्यपि अपीलकर्ता पर अप्राकृतिक अपराध करने के प्रयास और अपीलकर्ता द्वारा उसे गोली मारने के समय के बीच कई घंटों का समय अंतराल था, फिर भी घटना की प्रकृति और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता पर भी यही प्रभाव पड़ा कि अपीलकर्ता के संतुलन को बहाल

करने के मामले में अंतराल का अधिक महत्व नहीं था। विद्वान वकील के अनुसार, अपीलकर्ता इतना अधिक परेशान था और आत्म-नियंत्रण खोने की स्थिति में आ गया था कि जैसे ही मृतक उसके सामने आया, उसने मृतक को मौत की सजा देने का चरम कदम उठाया था, जबकि अपीलकर्ता अपने सर्विस हथियार से लैस गार्ड ड्यूटी पर था। श्री सिसौदिया ने तर्क दिया कि यह प्रश्न कि: क्या कोई घटना इतने गंभीर और अचानक प्रकोपन में परिणत होने के लिए पर्याप्त थी कि इस प्रकार उकसाए गए व्यक्ति को आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित कर दिया जाएगा, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्णय लेना होगा। उन्होंने आग्रह किया कि अपीलकर्ता भारतीय सेना में सेवारत एक युवा जवान है, जब उसे संभावित यौन उत्पीड़न का शिकार बनाने के लिए पीटा गया, तो यह उसके पद पर मौजूद किसी भी उचित व्यक्ति को उकसाने के लिए बाध्य था, खासकर जब प्रकोपन एक वरिष्ठ की ओर से आए, जिसने उसकी रक्षा करने के बजाय अपने पद का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया। दिन के समय स्टोर रूम की घटना से उत्पन्न उत्तेजना बीच के समय अंतराल के बावजूद जारी रही क्योंकि अपीलकर्ता पूरे समय गुस्से से उबल रहा था। इसलिए, मृतक को देखते ही उस पर गोली चलाने के उसके कृत्य को संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में लिया जाना चाहिए। यह आग्रह किया गया था कि सेना में होने वाली इस प्रकृति की घटना को आमतौर पर अधिकारियों

द्वारा या तो पूरी तरह से नकार कर या एक अलग तस्वीर पेश करके कम महत्व दिया जाता है जो न तो सच है और न ही यथार्थवादी है।

6. उत्तरदाताओं की ओर से, श्री अत्री ने इसके विपरीत तर्क दिया कि यद्यपि गंभीर और अचानक प्रकोपन के प्रश्न को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, तथापि वर्तमान मामले के तथ्य भा.द.सं. की धारा 300 के अपवाद 1 को लागू करने का समर्थन नहीं करते है। उन्होंने आग्रह किया कि इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा निर्धारित परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जाए कि क्या मृतक ने अभियुक्त को कोई प्रकोपन की कार्रवाई की थी, क्या प्रकोपन अचानक थे और क्या वह पर्याप्त रूप से गंभीर था ताकि अपराधी को उसके आत्म-नियंत्रण से वंचित किया जा सके। यह वर्तमान मामले में संतुष्टिकारक नहीं है तर्क दिया गया कि भले ही दिन के समय की घटना के बारे में अपीलकर्ता के संस्करण को स्वीकार कर लिया गया हो, मृतक द्वारा कथित प्रकोपन और अपीलकर्ता द्वारा जानलेवा हमले के बीच एक लंबा अंतराल स्पष्ट रूप से इसकी गंभीरता और सहजता को उजागर करता है। कथित तौर पर दोपहर 1 बजे मृतक द्वारा दिया गया प्रकोपन लंबे समय के बाद काफी हद तक शांत हो गया होगा, खासकर तब जब अपीलकर्ता के अनुसार उसने बीच की अवधि में अन्य कर्तव्यों में भाग लिया था। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता और उसके सहयोगियों ने फैसला किया था कि वे शाम को मृतक को मारेंगे जब वे

पानी गर्म करने के स्थान पर इकट्ठे होंगे, इससे यह भी पता चलता है कि प्रकोपन इतना अचानक और गंभीर नहीं था कि अपीलकर्ता ने शाम को जब मृतक को देखा तो उसे गोली मार दी।

7. हमें सबसे पहले यह बताना चाहिए कि इस निष्कर्ष को लेकर कोई चुनौती नहीं है कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने मृतक को हथियार और उसे दिए गए गोला-बारूद का उपयोग करके गोली मारी थी। वज़ह साफ है। पीडब्ल्यू 4, 5, 7, 8-12 और 16-18 के बयान स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने मृतक-रणधीर सिंह को गोली मारी थी और घटना के कुछ क्षण बाद उसे रणधीर सिंह के शव के पास खड़ा देखा गया था। उसके हाथ में सर्विस राइफल सबूत यह भी साबित करते हैं कि अपीलकर्ता को दो जवानों ने मौके पर ही पकड़ लिया और ओआर लाइन्स के अंदर ले आए और रस्सियों का उपयोग करके बिस्तर से बांध दिया। पीडब्लू-19 ने आगे कहा है कि अपीलकर्ता को बिस्तर से बांधने के बाद गवाह ने अपीलकर्ता को थप्पड़ मारा और उससे पूछा कि उसने मृतक को गोली क्यों मारी, जिस पर अपीलकर्ता ने जवाब दिया, "साहब ने मेरे को दुपहर को मारा था, इसलिए मैंने साहब को मार दिया।" (साहब ने मुझे दोपहर को पीटा था, इसलिए मैंने साहब को मार डाला है)। अपीलकर्ता को जारी की गई राइफल का उपयोग और यह तथ्य कि मौके से बरामद 18 खाली गोलियाँ उक्त

हथियार से चलाई गई थीं, भी पीडब्लू-18 के साक्ष्य से स्थापित की गई हैं। अपीलकर्ता द्वारा चलाई गई 18 गोलियों ने मृतक के शरीर को छलनी कर दिया था, यह भी विवाद में नहीं है। इस प्रबल साक्ष्य को कंलकित करने या गोलीबारी की घटना में अपीलकर्ता की संलिप्तता पर विवाद करने का कोई भी तर्क कम से कम कहने के लिए काल्पनिक और निरर्थक होता। शायद यही कारण है कि श्री सिसौदिया द्वारा यह तर्क देने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि इस घटना में अपीलकर्ता शामिल नहीं था या उसे झूठा फंसाया गया था।

8. एकमात्र सवाल, जैसा कि पहले देखा गया, यह है कि क्या 1400 बजे के आसपास स्टोर रूम में हुई घटना द्वारा अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की तीव्रता को कम किया जा सकता है। उस प्रश्न का उत्तर घटना की प्रकृति तथा इस बिन्दु पर निर्भर करेगा कि क्या यह घटना अपीलकर्ता के लिए गंभीर और अचानक प्रकोपन की बात होगी जिससे उसने स्टोर रूम की घटना के काफी देर बाद मृतक को गोली मार दी।

9. यह कि एक घटना 1400 बजे स्टोर रूम में घटित हुई इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। पीडब्लू 11 और 13 का बयान अपीलकर्ता के मामले का समर्थन करते हैं कि वास्तव में कुछ घटना घटी थी जिसने अपीलकर्ता को परेशान कर दिया था क्योंकि उसे रोते हुए पाया गया था। जब पूछा गया कि वह क्यों परेशान था और रो रहा था, तो अपीलकर्ता ने,

उक्त दो गवाहों के अनुसार, उन्हें बताया कि मृतक ने उसे पीटा था। पीडब्लू-19 का बयान भी इसी आशय का है, जिसके अनुसार, अपीलकर्ता लगभग 1400 बजे एक कमरे में मृतक के साथ था। जहाँ अपीलार्थी रो रहा था। बाद में उस दिन जब अपीलकर्ता पानी गर्म करने के बिंदु के पास गवाह से मिला और उससे पूछा गया कि वह क्यों रो रहा था, तो कहा जाता है कि अपीलकर्ता ने उत्तर दिया, "साहब ने मेरे को बहुत मारा और पैंट खोलने को बताया और मेरे मना करने पर मुझे फिर पिटा" (साहब ने मेरी पिटाई की और मुझे अपनी पैंट खोलने के लिए कहा और ऐसा करने से इनकार करने पर मुझे फिर से पीटा)।

10. यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता के बयान को अभियोजन पक्ष के गवाहों से पर्याप्त समर्थन मिलता है कि एक घटना 1400 बजे स्टोर रूम में हुई थी। जहां अपीलकर्ता को पीटा गया और अपमानित किया गया। हालाँकि, इसका कोई सबूत नहीं है और न ही यह अपीलकर्ता का मामला है कि मृतक ने वास्तव में उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया था। यहां तक कि पीडब्लू-19 ने भी गवाही दी कि अपीलकर्ता ने मृतक द्वारा अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने की शिकायत नहीं की थी। उच्च न्यायालय ने भी इस पहलू पर ध्यान देते हुए कहा कि हालांकि अपीलकर्ता पर शारीरिक हमले ने अपीलकर्ता को अपमानित किया था, लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि वास्तव में उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार

किया गया था। मृतिका ने अप्राकृतिक यौनाचार किया था या नहीं, यह अपीलकर्ता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल यह है कि क्या कोई घटना घटी थी यदि हां, तो क्या यह गंभीर और अचानक प्रकोपन की बात है? रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह साबित होता है कि मृतक ने अपने आचरण से अपीलकर्ता को इस हद तक अपमानित किया था कि वह बहुत परेशान हो गया था और उसे अपने सहकर्मियों द्वारा रोते हुए देखा गया था, जिनके बारे में उसने उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताते हुए बताया था।

11. आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आने वाले किसी मामले के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकोपन न केवल गंभीर होना चाहिए बल्कि अचानक भी होना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब अपवाद 1 के निम्नलिखित तत्व संतुष्ट होते हैं कि एक अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को हत्या से गैर इरादतन हत्या में कम करने का दावा कर सकता है:

(1) मृतक ने आरोपी को उकसाया होगा।

(2) इस प्रकार दिया गया उकसावा गंभीर रहा होगा।

(3) मृतक द्वारा दिया गया उकसावा अचानक हुआ होगा।

(4) ऐसे गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण अपराधी अपनी आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया होगा; और

(5) अपराधी ने आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित रहने के दौरान गलती से या दुर्घटना से मृतक या किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी होगी।

12. उपरोक्त परीक्षणों को मौजूदा मामले में लागू करने पर यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि एक सक्षम युवा जवान पर जब अपने वरिष्ठ द्वारा शारीरिक रूप से हमला किया जाता है तो वह प्रकोपन की स्थिति में हो सकता है। यदि शारीरिक पिटाई का उद्देश्य उसे वरिष्ठ की वासना को संतुष्ट करने के लिए अप्राकृतिक शारीरिक संभोग के लिए मजबूर करना हो तो इस तरह के प्रकोपन की गंभीरता बढ़ सकती है। आरोप है कि अपीलकर्ता और मृतक के साथ स्टोर रूम की घटना तब हुई जब मृतक ने किसी भी घुसपैठिए को अंदर क्या हो रहा है, यह देखने से रोकने के लिए स्टोर रूम के दरवाजे पर कुंडी लगा दी थी। किसी भी मानक के अनुसार एक वरिष्ठ का अपने अधीनस्थ को बंद कमरे में अपमानित करना और उसे पूर्व की वासनापूर्ण योजना के आगे झुकने के लिए मजबूर करना अपीलकर्ता की स्थिति में रखे गए किसी भी व्यक्ति के लिए उसके साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ विद्रोह करने और प्रतिशोध लेने का एक प्रबल प्रेरक था। अगर अपीलकर्ता ने वास्तव में विद्रोह किया होता और मृतक के अशोभनीय आचरण के खिलाफ प्रतिशोध लिया होता तो स्टोर रूम के अंदर

क्या हुआ होता, यह अनुमान का विषय है। हो सकता है कि अपीलकर्ता या उसके पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने अपने उत्पीड़क के गंभीर संकट का हिंसक प्रतिकार किया हो। हालाँकि, मामले का तथ्य यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने मृतक-वरिष्ठ के खिलाफ बिना किसी प्रतिशोध के हमले को सहन किया और किसी तरह कमरे से भागने में सफल रहा। वह महत्वपूर्ण क्षण जब अपीलकर्ता मृतक के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने के लिए शायद अपना संयम और संतुलन खो सकता था, इस प्रकार ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए अप्रत्याशित रूप से, गंभीर और अचानक प्रकोपन के बावजूद गुजर गया।

13. सभी सबूत यह साबित करते हैं कि उक्त घटना के बाद अपीलकर्ता को रोते और उदास देखा गया था और जब उसके सहयोगियों ने उससे पूछा तो उसने मृतक के हाथों अपमान की अपनी कहानी सुनाई। यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उपरोक्त घटना के बाद अपीलकर्ता को लंबे समय तक गंभीर प्रकोपन का सामना करना पड़ा। उनकी प्रकृति के अनुसार इस तरह की उत्तेजना अचानक और गंभीर होने पर भी समय बीतने के साथ शांत हो जाती है और जब भी मौका मिलता है बदला लेने का मकसद बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में भी ऐसा हुआ है क्योंकि अपीलकर्ता का कहना है कि उसने और उसके सहयोगियों ने शाम को मृतक की पिटाई करके अपमान का बदला

लेने की योजना बनाई थी जब वे सभी पानी गर्म करने के बिंदु के पास इकट्ठा हुए थे। इसके अलावा, अपीलकर्ता दिन के समय अपनी सामान्य ड्यूटी करता रहा और शाम के खाने के बाद 2100 बजे अपनी गार्ड ड्यूटी करने चला जाता था। ये सभी परिस्थितियाँ गंभीर होने का कोई संकेत नहीं देतीं, गंभीर और अचानक प्रकोपन की तो बात ही छोड़ दें, जो अपीलकर्ता को परेशान कर रहा है और उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा है या उसे आत्म-नियंत्रण से वंचित कर रहा है, जो गंभीर और अचानक प्रकोपन का एक अनिवार्य गुण है, जो कि भा.द.सं. की धारा 300 के अपवाद के रूप में एक शमन कारक है।

14. श्री सिसौदिया द्वारा यह तर्क दिया गया कि यद्यपि दोपहर में हुई घटना और 2130 बजे मृतक की गोली लगने के बीच लगभग सात घंटे का अंतराल रहा तथापि भा.द.सं. की धारा 300 के अपवाद 1 के अर्थ में प्रकोपन की प्रकृति गंभीर बनी रही। यह तथ्य मानना कठिन है। अपवाद 1 के अर्थ में गंभीर उत्तेजना एक उत्तेजना है जहां अपराध निर्णय लेने की शक्ति और तार्किक बुद्धि से हीन हो जाता है और हिंसक जुनून उस पर हावी हो जाता है। ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी द्वारा प्रकोपन को ऐसी कार्रवाई, अपमान आदि के रूप में परिभाषित किया गया है जो शारीरिक प्रतिशोध को भड़काने की संभावना है। सामान्य रूप से ऐसा प्रकोपन अचानक व गंभीर

होने के बावजूद समय बीतने के साथ धीमा पड़ जाता है जो कि अवसर आने पर प्रतिशोध लेने का मकसद बन जाता है।

15. **होम्स बनाम सार्वजनिक अभियोजन निदेशक 1946 ए.सी. 588:) 1946 सभी ई.आर. (एचएल)** में प्रकोपन को निम्नानुसार समझाया गया है:-

"प्रकोपन से संबंधित संपूर्ण सिद्धांत इस तथ्य पर निर्भर करता है कि यह आत्म-नियंत्रण के अचानक और अस्थायी नुकसान का कारण बनता है, या पैदा कर सकता है, जिससे द्वेष, जो मारने या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे का गठन होता है, नकारात्मक हो जाता है. नतीजतन, जहां प्रकोपन से हत्या करने या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने का वास्तविक इरादा प्रेरित होता है, वहां यह सिद्धांत कि प्रकोपन से हत्या को मानव वध में बदला जा सकता है, शायद ही कभी लागू होता है।

16. यह तर्क कि उस दिन दोपहर के आसपास हुई घटना एक गंभीर प्रकोपन की घटना थी जो दिन भर अपीलकर्ता को उकसाती रही, शाम 9.30 बजे तक जब अपीलकर्ता ने मृतक को गोली मार दी, इसलिए यह न केवल हमें आकर्षित करता है, बल्कि क्योंकि अपीलकर्ता ने प्रतिशोध की एक छोटी कार्रवाई के लिए समझौता किया था, जैसे शाम को मृतक की उसके और उसके सहयोगियों द्वारा पिटाई, जब वे पानी गर्म करने वाले स्थान के पास इकट्ठे हुए थे, बल्कि इसलिए भी कि अपीलकर्ता ने दिन के

समय और यहाँ तक कि अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन भी किया था। शाम को सिवाय इसके कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने और उसके कुछ सहयोगियों ने मृतक की पिटाई की योजना बनाई थी।

17. यह न्यायालय केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य ए**आईआर 1962 एससी 605** के मामले में कुछ इसी तरह के प्रश्न पर विचार कर था। उस मामले में आरोपी की पत्नी ने मृतक के साथ अपनी अवैध अंतरंगता कबूल की थी जब मृतक मौजूद नहीं था। मुकदमे में साबित हुआ अभियोजन का मामला यह था कि पत्नी के कबूलनामे के बाद, आरोपी उसे और बच्चों को एक सिनेमाघर में ले गया और उन्हें वहीं छोड़ दिया, छह राउंड से भरी रिवॉल्वर लेने के लिए अपने जहाज पर गया और अपनी कार चलायी। मृतक के कार्यालय और फिर उसके फ्लैट में, उसके शयनकक्ष में गए और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस अदालत ने माना कि दोपहर 1.30 बजे जब मृतक ने अपना घर छोड़ा था और शाम 4.20 बजे जब हत्या हुई थी, के बीच तीन घंटे का अंतर था जो उसके लिए अपना आत्म-नियंत्रण हासिल करने के लिए पर्याप्त समय था, भले ही उसने इसे पहले हासिल नहीं किया हो। निर्णय का निम्नलिखित अंश तब महत्वपूर्ण है जब यह भा.द.सं. की धारा 300 के अपवाद 1 के अर्थ में गंभीर अभिव्यक्ति से संबंधित है:

'86. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए इस मामले के तथ्यों पर नजर डालें। जब सिल्विया ने अपने पति के सामने कबूल किया कि उसके आहूजा के साथ अवैध संबंध थे, तो वह मौजूद नहीं था। हम मान लेंगे कि उसने क्षण भर के लिए अपना आत्म-नियंत्रण खो दिया था। लेकिन, यदि उनका कथन सत्य है - इस तर्क के प्रयोजन के लिए हम स्वीकार करेंगे कि उन्होंने जो कहा है वह सत्य है - इससे पता चलता है कि वह केवल अपनी पत्नी और बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे थे और आहूजा से स्पष्टीकरण भी मांग रहे थे। उसका आचरण. अभियुक्त का यह रवैया स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसने न केवल अपना आत्म-नियंत्रण हासिल कर लिया है, बल्कि दूसरी ओर, भविष्य के लिए योजना भी बना रहा है। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों को एक सिनेमाघर ले गया, उन्हें वहां छोड़ दिया, अपने जहाज पर गया, झूठे बहाने से एक रिवॉल्वर ली, उसमें छह गोलियां भरी, वहां कुछ आधिकारिक काम किया, और अपनी कार चलाकर आहूजा के कार्यालय तक गया और फिर उनके फ्लैट पर जाकर

सीधे आहूजा के बेडरूम में गए और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

दोपहर 1.30 बजे के बीच, जब वह अपने घर से निकला था, और शाम 4.20 बजे, जब हत्या हुई थी, तीन घंटे बीत चुके थे, और इसलिए उसके पास अपना आत्म-नियंत्रण हासिल करने के लिए पर्याप्त समय था, भले ही उसने इसे पहले हासिल नहीं किया था। दूसरी ओर, उसके आचरण से साफ पता चलता है कि हत्या जानबूझकर और सोच-समझकर की गई थी। भले ही आरोपी और मृतक के बीच आरोपी द्वारा बताए गए तरीके से कोई बातचीत हुई हो- हालांकि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं- इससे सवाल पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आरोपी मृतक को गोली मारने के लिए उसके शयनकक्ष में घुस गया था। केवल यह तथ्य कि गोली मारने से पहले आरोपी ने मृतक को गाली दी थी और उस गाली ने उतना ही अपमानजनक जवाब दिया था, हत्या के लिए उकसाने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए, हम मानते हैं कि मामले के तथ्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं।"

18. मौजूदा मामले में स्थिति अलग नहीं है। 1400 बजे के बीच. जब अपीलकर्ता को गंभीर प्रकोपन का समय दिया गया था और 2130 बजे, जिस समय अपीलकर्ता ने मृतक को गोली मारी थी, उस समय सात घंटे थे, जो अपीलकर्ता को शांत होने के लिए पर्याप्त था। एक व्यक्ति जो गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन है, वह अपना धैर्य और संयम वापस पा सकता है। आखिरकार गंभीर प्रकोपन क्षणिक रूप से व्यक्ति द्वारा सही व गलत के बीच अन्तर करने की क्षमता का क्षणिक हनन ही है। जब तक की उक्त क्षण के भविष्यस्वरूप किसी प्रकार की क्षति नहीं होती उक्त घटना व्यक्ति की स्मृतियों के दायरे में चली जाती है जो की बदला लेने की भावना बढ़ा देती है एवं इस प्रकार भविष्य में अपराध करने की प्रेरणा बन सकती है। परन्तु पूर्व की ऐसी कोई भी घटना गंभीर व अचानक प्रकोपन की श्रेणी में नहीं आती है। गंभीर व अचानक प्रकोपन के रूप में अपराध को कमतर करने हेतु नहीं मानी जा सकती है। सामान्य रूप से ऐसा प्रकोपन अचानक व गंभीर होने के बावजूद समय बीतने के साथ धीमा पड़ जाता है जो कि अवसर आने पर प्रतिशोध लेने का मकसद बन जाता है। अपराधी द्वारा जो पिटाई व अपमान झेला गया वह उस मृतक से प्रतिशोध लेने का मकसद हो सकता है जिसने ऐसा अपमान किया था किन्तु यह भारतीय दण्ड संहिता के प्रथम अपवाद में नहीं आता है जो की रणवीर दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद के समान है। रणबीर दंड संहिता जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होती है जहां विचाराधीन अपराध

अपीलकर्ता द्वारा किया गया था। इस संबंध में, हम **मैनसिनी बनाम लोक अभियोजक निदेशक [1941] 3 सभी ई.आर. 272** से निम्नलिखित अंश निकाल सकते हैं:

"प्रत्येक प्रकोपन हत्या के अपराध को मानव वध में नहीं बदल सकता। उस परिणाम के लिए उत्तेजना ऐसी होनी चाहिए कि उकसाए गए व्यक्ति को अस्थायी रूप से आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित कर दिया जाए जिसके परिणामस्वरूप वह गैरकानूनी कार्य करता है जिससे मृत्यु हुई। लागू होने वाला परीक्षण एक उचित व्यक्ति पर प्रकोपन के प्रभाव का है, जैसा कि रेक्स बनाम लेस्बिनी में आपराधिक अपील न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था ताकि एक असामान्य रूप से उत्तेजित या झगड़ालू व्यक्ति प्रकोपन का सहारा लेने का हकदार न हो जो कि किसी सामान्य व्यक्ति को वैसा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता हो जैसा उन्होंने किया। परीक्षण लागू करने में, यह विशेष महत्व रखता है (ए) इस बात पर विचार करना कि क्या प्रकोपन के बाद एक उचित अंतराल बीत चुका है जिससे एक उचित व्यक्ति को शांत होने का समय मिल सके, और (बी) उस उपकरण को ध्यान में रखना जिसके साथ हत्या को अंजाम दिया गया था, उत्तेजना से प्रेरित आवेश की तीव्रता में, एक साधारण प्रहार से जवाब देना, छुपे हुए खंजर जैसे घातक उपकरण का उपयोग करने से बहुत अलग

बात है। संक्षेप में, यदि अपराध को मानव वध तक कम करना है तो आक्रोश के तरीके का प्रकोपन से उचित संबंध होना चाहिए।

19. यह तर्क कि दिन के समय की घटना ऐसी थी कि अपीलकर्ता को, गंभीर प्रकोपन हो सकता था, जिस क्षण वह मृत व्यक्ति उस स्थान की ओर आया जहां वह गार्ड ड्यूटी पर था, मानने योग्य नहीं है। यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि मृतक उसके करीब आया था एवं उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था जिसके द्वारा अपीलार्थी को एक और प्रकोपन हुआ जो कि संभाव्य है कि उसके द्वारा आत्म-नियंत्रण खोने तथा हथियार के प्रयोग को औचित्यपूर्ण करता हो। अपीलकर्ता का कथन है कि उसने रूकने का कहा था क्योंकि गार्ड ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों को इस हेतु प्रशिक्षित किया जाता है, किन्तु जब उसके पास आने वाला व्यक्ति नहीं रूका एवं जब उसने पहचाना की उक्त व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मृतक है उसने उस पर गाेली चला दी, उक्त कथन स्पष्ट रूप से यह सुझाव देते हैं कि मृतक अपीलार्थी के निकट नहीं था। संभव है कि अपीलार्थी मृतक व्यक्ति के कृत्य से नाराज हो तथा ऐसी कोई भी नाराजगी केवल मतृक से प्रतिशोध लेने का मकसद मात्र हो सकता है। इसे अचानक व गंभीर प्रकोपन नहीं कहा जा सकता है जिसके कारण मृतक को उसी क्षण गोली मार दी गई जब वह अपीलार्थी के सामने आया हो। किसी भी कीमत पर मृतक पर यह आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है कि उसने

अपीलार्थी के पास आकर गार्ड ड्यूटी के समय प्रकोपन दिया हो जबकि वह कार्य निष्पादन की परीधि में गार्ड ड्यूटी करने वालों पर निगाह रख रहा था। इस प्रकार उक्त स्थान जहाँ पर अपीलार्थी अपनी गार्ड ड्यूटी कर रहा था वहाँ पर मृतक की उपस्थिति मात्र धारा 300 भा.द.सं. के प्रथम अपवाद के तहत प्रकोपन का गठन करने हेतु पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

20. परिणामस्वरूप उक्त अपील विफल होने से खारिज की जाती है।

आपराधिक अपील संख्या 2328/2014

(@ विशेष अनुमति याचिका (क्रिमी.) संख्या 8457/2014 क्रिमी. एमपी संख्या 15455/2014)

विलंब क्षमा किया गया।

अनुमति मंजूर की गई।

क्रिमी. अपील संख्या 242/2012 में पारित हमारे सम तारीख के आदेश के प्रकाश में अपीलकर्ता बी.डी.खूंटे द्वारा दायर यह अपील विफल होने से खारिज की जाती है।

राजेन्द्र प्रसाद

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी वैदेही सिंह चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः-यह निर्णय पक्षकारान को उनकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण की मान्य होगा।